न्यूनतम वेतन पर हरियाणा सरकार की बाजीगरी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) हिन्द मज़दूर सभा हरियाणा के उपप्रधान एस डी त्यागी ने दिनांक 13 अगस्त को एक बयान जारी कर बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन में जो औद्योगिक मज़दूरों एवं अन्य के लिये न्यूनतम वेतन 7400 रुपये प्रतिमाह की घोषणा ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। क्योंकि हरियाणा में औद्योगिक मज़दूरों का न्यूनतम वेतन का रिवीजन 2012 से लम्बित चला आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 8100 रुपया न्यूनतम वेतन की घोषणा करके औद्योगिक मज़दूरों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है तथा भेदभाव भी किया है सरकारी कर्मचारी को वह 8100 रुपये वेतन देने की बात कह रहे हैं हरियाणा के पडोसी राज्यों में न्यूनतम वेतन हरियाणा से अधिक है। मंहगाई आंकड़ों की समायोजन दर भी हरियाणा में 7 रुपया प्रति आंकड़ा रखी गयी जबकि यह पडोसी राज्यों दिल्ली, पंजाब में 8 रुपये प्रति आंकड़ा है जो छमाही में रिलीज होती है साल में दो बार इसमें हरियाणा सरकार श्रम विभाग की लटकाउ नीति रहती आ रही है। न्यूनतम वेतन में भी कैटेगिरी वाईज जो 5 प्रतिशत का अन्तर रखा गया है यह भी गलत है।

जबकि हरियाणा सरकार द्वारा गठित मिनीमम वेज बोर्ड की चण्डीगढ में हाल ही में जो बैठक रखी गयी उसमें सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार को पूर्ण रूप से तथा तर्कसंगत ढंग से यह समझा दिया था कि 10000 रु. प्रतिमाह न्यूनतम वेतन के बिना मज़दूर अपने परिवार का भरण पोषण नही कर सकता क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर बढती मंहगाई के आंकडे एवं स्तर पूरा देश जानता है और हरियाणा के अधिकतर उद्योग एन. सी.आर. क्षेत्र में स्थापित हैं फ़िर सरकार मज़दूरों की आंखों में धूल झोंक कर आनेवाले चुनाव में मज़दूरों के करोड़ों वोट बटोरना चाहती है। पूरे हरियाणा के अन्दर जितनी दुर्दशा मज़दूरों की हो रही है उतनी देश में किसी दूसरे प्रान्त में शायद ही हो।

यूनियन बनने नही देते सरकारी महकमों में चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, श्रम विभाग हो यहां तक कि न्यायपालिका भी पूरी तरह से पूंजीपतियों द्वारा शोषण करवाने में पूरा गठजोड़ बना कर सहयोग दे रही है। हरियाणा का श्रम विभाग पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है।

सभी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा, स्थायी कर्मचारी का ना होना, महिला कर्मचारियों का हर प्रकार से शोषण, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह न होकर पूंजीपतियों के समर्थन में फैक्ट्रा गेटों पर ड्यूटी देती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पैसे के बल पर पूरी व्यवस्था को अपना गुलाम बना चुकी हैं। जिसका उदाहरण डेढ वर्ष पूर्व सुजुकी मारूति के 150 श्रमिकों का जेल में बंद करके रखे जाना है तथा 550 मज़दूरों को नौकरी से निकाला हुआ है। गुडगॉवा, मानेसर और बावल की कोई कम्पनी ऐसी नही है जहां मज़दूर और मज़दूर नेता नौकरी से बाहर न निकाले गये हो।

पता नहीं हरियाणा और देश के मज़दूरों के अच्छे दिन कब आयेंगे।

बाल श्रमिक हत्या मामला जो 'मज़दूर मोर्चा' ने उठाया था

पुलिस को संज्ञान लेकर तफ़्तीश करनी चाहिये थी : सूचना आयुक्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 13 सितम्बर 2013 को नीमका जेल के पीछे, के एल जे कम्पनी के एक भवन निर्माण स्थल पर 13 वर्षीय बाल श्रमिक की हत्या के मामले में सूचना आयुक्त उर्वषी गुलाटी ने दिनांक 26.6.14 को सुनवाई उपरांत पाया कि इस गंभीर मामले में पुलिस को संज्ञान लेकर तफ़्तीश करनी चाहिए थी। आदेश की प्रति 31 जुलाई को प्राप्त हुई।

'मज़दूर मोर्चा' के सुधी पाठकों ने 16-30 सितम्बर 2013 अंक में पढ़ा होगा कि किस प्रकार के एल जे कम्पनी के एक कार्य स्थल पर कार्यरत 13 वर्षीय नकीबुल हसन नामक लिफ्ट ऑपरेटर बिजली का करंट लगने से जल कर मर गया था। कम्पनी वालों ने बिना पुलिस तथा श्रम विभाग को सूचित किये मृतक बाल श्रमिक को बल्लबगढ बस अड्डे के निकट एक कब्रिस्तान में दफ़न कर दिया था। 'मज़दूर मोर्चा' सम्पादक द्वारा पुलिस तथा श्रम विभाग को सूचित किये जाने के बाद श्रम विभाग ने तो सक्रियता दिखाते हुए कम्पनी के विरुद्ध कुछ आवश्यक कार्यवाही का ड्रामा किया लेकिन पुलिस ने इतना भी करने की जरूरत नहीं समझी।

दिनांक 14 सितम्बर को 'मज़दूर मोर्चा'सम्पादक ने ए सी पी बल्लबगढ दिनेश यादव से उनके सरकारी मोबाइल फ़ोन पर जानना चाहा कि इस मामले में उनके विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है? जवाब में उन्होंने कहा था कि यह थाना सदर का मामला है जो उनके अधिकर-क्षेत्र में न आकर डी सी पी के अधिकार-क्षेत्र में आता है, फ़िर भी वे एस.एच.ओ. व डी सी पी को सूचित कर देंगे। तीन दिन बाद जब यही सवाल डी सी पी सुखबीर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले से ही अनभिज्ञता जाहिर कर दी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाया गया, बात नहीं हो पाने पर एस एम एस करके जानकारी मांगी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सूचना मांगी गयी कि उक्त हत्या कांड में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

बजाय सीधा जवाब ''हमने कुछ नहीं किया'' कहने के जवाब आया कि थाना हज़ा में इस तरह के किसी मामले का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रथम अपील डी सी पी मुख्यालय को लगाई गयी तो भी यही जवाब मिला। द्वितीय अपील सूचना आयोग चंडीगढ में लगाई गयी तो सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी ने केस की तह में जाकर उक्त आदेश दिया है।

पुलिस ने अपने जवाब में भी उक्त हत्या की किसी भी सूचना के होने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर ने एस एम एस की प्राप्ति तक से इन्कार कर दिया। पुलिस के इन जवाबों के बाद एक आर टी आई यह भी लगाई गयी थी कि जब किसी पुलिस अधिकारी को आर टी आई के माध्यम से उक्त वारदात की सूचना मिल गयी थी तो क्या कार्यवाही की गयी? इसके जवाब में सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपील अधिकारी ने वही पुराना जवाब दोहरा दिया कि थाना हजा में इस केस बाबत कोई सूचना दर्ज नहीं है।

सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि जब पुलिस कमिश्नर को एस एम एस द्वारा तथा आर टी आई के माध्यम से सूचना मिल चुकी थी तो उन्होंने क्यों नहीं इस गंभीर वारदात का संज्ञान लिया?

यद्यपि सूचना आयोग का क्षेत्राधिकार केवल सूचना उपलब्ध कराने तक ही है, फ़िर भी उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे नज़रंदाज करने की बजाय इस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेकर तफ़्तीश करनी चाहिए थी। हां मांगी गयी सूचना का सही जवाब न देने के मामले को आयोग ने भी गोल कर दिया। 'मज़दूर मोर्चा' अब मामले को इसकी तार्किक परिणति तक ले जाने को कमर कसेगा।

हुड्डा की छूट से बिल्डर की लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) नहर पार एक नया शहर बसाने का काम हुड्डा सरकार ने सारे छंटे हुए बिल्डरों को दे दिया था जिनका एक सूत्री कार्यक्रम लोग़ों को लूटना है, तरीके कई अपनाए जा रहे हैं। इनमें से एक तरीका पीयूष बिल्डर ने अपनाया हुआ है। इस एक तरीके से बिल्डर को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा होगा, मतलब बिल्डर की बदमाशी से लोग़ों की कमाई का पैसा उसके पास पहुंच जाएगा, जिसके लिए बिल्डर ने केवल नोटिस भेजा है। और कुछ नहीं करना पड़ा।

इससे पहले भी पीयूष वाले इस तरह की बदमाशी करते रहे हैं, इसलिए इस बार लोग़ों ने मिलकर बिल्डर का विरोध करने का फैसला लिया और पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद फ़रीदाबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं।

अब यह तो वक्त ही बतायेगा कि पुलिस कितनी ईमानदारी से इस मामले की जांच करती है।

क्या है मामला-

धीरज जैन ने सेक्टर 89 में पीयूष हाईट्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक कराया था। उनका कहना है कि उनके फ्लैट की कीमत 29.19 लाख रुपये है, जिसका वह भुगतान कर चुके हैं, लेकिन अब बिल्डर की ओर से एक नोटिस भेजा गया, जिसमें 10.07 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने को कहा गया है। जैन के मुताबिक वह सभी शुल्कों का भुगतान कर चुके हैं, लेकिन अब उनसे अतिरिक्त डवलपमेंट चार्ज के रूप में 2.79 लाख रुपये, कार पार्किंग के नाम पर 76 हज़ार, क्लब सदस्यता के नाम पर 53 हजार, मीटर कनेक्शन के नाम पर 32 हज़ार, पाइप गैस कनेक्शन के नाम पर 20 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। धीरज बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन स्पेस में पार्किंग के लिए किसी तरह का भुगतान करने पर पावंदी लगाई हुई है तो बिल्डर कैसे इसका पैसा मांग सकता है।

अतिरिक्त विकास शुल्क का कोई ब्योरा नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गैस कनेक्शन के लिए 6000 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं आता।

दिल्ली के पश्चिम विहार में रह रहे धीरज ने शनिवार को अपने बयान कराते हुए संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए। धीरज के साथ पीयूष हाइट्स अपार्टमेंट अलॉटी सोसायटी के पदाधिकारी भी थे। सोसायटी के अध्यक्ष तुलिंद्र कटोच ने बताया कि अपार्टमेंट में कुल 1086 फलैट हैंऔर सबसे बिल्डरों द्वारा यह रकम मांगी जा रही है, जबकि इस मांग के खिलाफ़ उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अपील की थी। आयोग ने इस मांग पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, बावजूद इसके बिल्डर द्वारार लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।

बिल्डर की कोशिश है कि इस बहाने 1086 लोग़ों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूली जा सके।

इस बिल्डर से लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। तय शर्तों के मुताबिक बिल्डर को चार साल पहले फ्लैटों पर कब्ज़ा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण जिन लोग़ों ने बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदे हैं, वे बैंक की किश्त भर भी रहे हैं और जहां रह रहे हैं वहां का किराया भी।

ऐसा ही एक मामला सेक्टर 82-85 की प्राणायाम सोसायटी का है। यहां बिल्डर ने कब्जा दे दिया, लेकिन जब अपार्टमेंट की मेंटीनेंस की बारी आई तो अपनी बहन और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर फ़रीदाबाद से सोसायटी रजिस्टर करा दी। जबकि इस सोसायटी में फ़्लैट मालिकों का नाम होना चाहिए। बिल्डर का मकसद है कि मेंटीनेंस के लिए पहले वसूले गए पांच करोड़ रुपये का खर्च उसके द्वारारा हो, ताकि वह इससे भी कमाई कर सके। साथ ही, आगे भी सोसायटी में रहने वाले लोग़ों से मनमाने तरीके से मेटीनेंस के नाम पर वसूली कर सके।

निष्ठा प्रदर्शन में श्रम मन्त्रालय के अधिकारी भी पीछे नहीं रहना चाहते

करनाल (म.मो.) नई सरकार के आते ही केन्द्र सरकार के अधिकारियों में सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाने की लगता है होड लगी हुई है। इसी निष्ठा प्रदर्शन में श्रम मन्त्रालय के अधिकारी भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आजकल इसका प्रभाव कुछ अधिक ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ई.पी.एफ.ओ. के वर्तमान केन्द्रीय आयुक्त ने पिछले वर्ष जब कार्यभार संभाला था, तभी से कुछ सख्ती करके अनेक सुधार कार्यक्रम पहले ही चला रखे थे लेकिन अब तो लगता है श्रम मंत्रालय के अधिकारी एक ही झटके में ई.पी.एफ.ओ. की कायाकल्प कर देना चाहते हैं ताकि वे अपनी कार्यकुशलता दर्शा सकें।

पिछले लगभग एक माह से हर सप्ताह एक नया आदेश इ.पी.एफ.ओ. अपने विभाग में जारी कर रहा है। एक का क्रियान्वन होता नहीं है दूसरा आदेश आ जाता है जिसके लिये डैडलाइन तय कर दी जाती है। अधिकारी अपने मातहतों को तुरन्त आदेशों की अनुपालना के लिये कह देते हैं जब अधीनस्थ स्टाफ़ ब्यवहारिक कठिनाई बताता है तो सभी उच्च अधिकारी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ये आदेश भी इतने अव्यवहारिक होते हैं जिनका क्रियान्वय तय सीमा में होना संभव ही नहीं है।

पहले आदेश दिये गये कि सभी कार्यालय अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ऐसी इकाइयों की पहचान करें जो कोड नम्बर लेने के बाद से ही पी.एफ.जमा नही कर रही है। इसके लिये स्टाफ़ लगा हुआ ही था कि नया आदेश आया कि यदि कोई इकाई बन्द है तो उसके लिये प्रर्वतन अधिकारी आस-पड़ोस से कोई दो व्यक्तियों से पूछताछ करके उनके मोबाइल नम्बर व उनकी पहचान हेतू उनसे आधार, आयकर स्थाई खाता संख्या, वोटर पहचान पत्र या अन्य किसी दस्तावेज की प्रति भी लेकर अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा। अब जहां किसी कम्पनी के आस-पडौस में कोई अन्य कम्पनी या रिहायशी क्षेत्र है तो उपरोक्त दस्तावेज की संभावना हो सकती है वह भी तब कि कोई अपने दस्तावेज देने को राज़ी हो। लेकिन यदि किसी फैक्ट्री भठठा आदि के आस-पास कोई दूसरी कम्पनी का अन्य कोई रिहाइशी क्षेत्र नहीं है तो कहां से वो आदमी ढूंढे जाएंगे तथा कैसे पहचान पत्र लिये जाएंगे। फिर कोई आदमी आवश्यक नही है कि कोई दस्तावेज अपनी जेब में ही रखकर घूम रहे हो। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई पहचान पत्र होगा भी तो पहले अपना पहचान पत्र क्यों देगा यदि देने के लिये सहमत हो भी जाए तो फोटो कॉपी कहां से करवाई जाएगी।

दूसरे फील्ड स्टाफ को उम्मीद है कि इससे उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली मासिक घूस में थोड़ी कमी अवश्य आ सकती है। इस बारे में बिभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया है कि हरेक इन्सपेक्टर को महीने में एक लाख रुपये तक घूस अपने ऊपर के अधिकारियों को देनी पड़ती है। स्थानीय यूनियन के एक पदाधिकारी ने बताया है कि यदि उच्चाधिकारी फील्ड स्टाफ़ का मनमानी से ट्रांसफर न कर सकें तो ये घूस ही खत्म हो जाए।

मज़दूर मोर्चा ने पड़ताल में पाया है कि पी.एफ. जमा न करने वालों में अधिकतर ईंट भट्ठे के ठेकेदार हैं। ठेकेदार पी.एफ़.कोड नम्बर लेते समय ज्यादातर दस्तावेज फर्जी लगाते हैं उसके द्वारा दिया गया तो अधिकतर कोड नम्बर मिलने के बाद ढूंढा ही नहीं जा सकता है। यह सब पी.एफ. विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की सांठगांठ के बिना संभव नहीं है। हालाकि अब ई.पी.एफ. ओ. ने कोड नम्बर के लिये कुछ मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं और नया कोड नम्बर आन लाइन जारी किया जायेगा जिसकी जांच इंस्पेक्टर द्वार एक महीने में करनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि कोड नम्बर जारी होन के एक महीने बाद इन्कवायरी में यदि तथ्य झूठे पाये जाते हैं तो कोड नम्बर तो रद्द हो जाएगा लेकिन ठेकेदार उस नम्बर को लेकर कई महीने तक तो श्रमिकों के पैसे हजम करता रहेगा।

उपरोक्त आदेश के बाद ई.पी.एफ.ओ.ने कम्पनियों का निरीक्षण करने के लिये नया सिस्टम लागू कर दिया है जिसके अनुसार अब पिक एवं चूज वाला काम नहीं होगा। इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर एक यूनिट बनाई गई है जो पूरे देश में क्षेत्रवार उन कम्पनियों का विवरण तैयार करेगा जो बन्द हैं या जिनमें पी.एफ. अंशदान घट कर आ रहा है या जिनमें श्रामिकों की संख्या कम हो गई है या जो नहीं कवर होंगी। इसके लिये उन कम्पनियों की जांच होगी जिनका अंशदान दस हज़ार रुपये या इससे अधिक तक कम जमा हो रहा है इसमें सवाल यह है कि अनेक छोटी छोटी कम्पनियां या ठेकेदार स्कूल, पेट्रोल पम्प, ईंट भट्टे तो मासिक दस हजार भी जमा नहीं कराते है और ऐसी ही कम्पनियां में पी.एफ. की सबसे अधिक चोरी हो रही है वो तो इसके दायरे में आऐंगी ही नहीं।

दूसरे जो इन्सपेक्टर के लिये नया प्रोफार्मा बनाया है उसमें कम्पनी की बैलेंस शीट को देखने का प्रावधान ही खत्म कर दिया है जबकि ज्यादातर चोरी बैलेंस शीट से ही पकड़ी जाती है। अति जटिल बना दिया गया है इंस्पैक्शन को एक इंस्पैक्शन के लिये केवल चार दिन का समय मिलेगा चार दिन में उसे हर हालत में निरीक्षण करके उसे इ.पी.एफ.ओ. की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा यदि उसने निर्धारित अवधि में अपलोड नहीं की तो समय समाप्त और इन्सपेक्टर की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में इसकी नकारात्मक प्रविष्टी दर्ज हो जायेगी। एक सप्ताह में चार इन्सपेक्शन करनी अनिवार्य है। इस बारे में विभाग के अन्दरुनी सूत्रों का कहना है कि ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है। चार दिन में निरीक्षण संभव नहीं है ज्यादातर कम्पनियों ने कन्सलटेंट रखे हुए हैं जिनके पास सैंकड़ों कम्पनियां होती है ये कन्सलेटेंट पहले ही इन्सपेक्टर को रिकार्ड दिखाने में थका देते हैं फ़िर चार दिन में तो रिकार्ड प्रस्तुत करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त यदि किसी फैक्ट्री आदि का अपना ही सिस्टम है तो भी चार दिन में इन्सपेक्सन होना असम्भव है। इ.पी.एफ.ओ. में निरीक्षण स्तर का सभी स्टाफ नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में प्रशिक्षित नहीं है वे कैसे कार्य कर पायेंगे यह भी प्रश्न है। **शेष पेज छह पर**